न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 73/2020   निर्णय दिनांकः09.12.2020

1. शंकरनाथ
2. रेवन्तनाथ
3. रूपनाथ
4. लालनाथ
5. गणेशनाथ

पुत्रगण रामूनाथ जाति नाथ निवासी पुनरासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

— वादीगण —

बनाम

1. रामूनाथ पुत्र उदानाथ जाति नाथ निवासी पुनरासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
2. सुशीला पुत्री रामूनाथ पत्नी धर्मपाल जाति नाथ निवासी 20 आर.जे.डी. तहसील घड़साना जिला बीकानेर।
3. बंसती पुत्री रामूनाथ पत्नी राजेन्द्र जाति नाथ निवासी 20 आर.जे.डी. तहसील घड़साना जिला बीकानेर।
4. गुलाबू पुत्री रामूनाथ पत्नी सोहननाथ जाति नाथ निवासी जोगिया बस्ती लुणकरनसर तहसील लुणकरनसर जिला बीकानेर।
5. पंजाब नैशनल बैंक, शाखा श्रीडूंगरगढ़।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़।

— प्रतिवादीगण —

उपस्थितिः—
1. श्री के.के. पुरोहित अभिभाषक वादी।
2. श्री रामलाल नायक अभिभाषक प्रतिवादी संख्या 01 ता 04

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह वाद शंकरनाथ वगैरहा ने जरिये अधिवक्ता के मार्फत पेश कर निवेदन किया है कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 एक ही परिवार के सदस्य है तथा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ग्राम पुनरासर के निवासी है। प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण के पिता है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 वादीगण की बहिने है। प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से खातेदारी खेत खसरा नंबर 520 तादादी 9.48 हैक्टेयर बारानी, वाके रोही ग्राम पुनरासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर में स्थित है। उपरोक्त कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को उनके पिता उदा पुत्र चीमननाथ से विरासतन प्राप्त हुई है। उपरोक्त कृषि भूमि में वादीगण के पूर्वज उदा उर्फ उदनाथ की होने से वादीगण उदा उर्फ उदनाथ के सहदायिक है तथा जन्म से ही उपरोक्त कृषि भूमि में वादीगण का हक हिस्सा है। [illegible] संख्या 2 ता 4 की शादी हो चूकी है तथा वह अपने ससुराल में निवास कर रही [illegible] उनका हिस्सा दहेज के रूप में दिया जा चूका है। तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 ने कृषि भूमि में से अपना हक हिस्सा वादीगण के पक्ष में छोड़ दिया है। वादग्रस्त कृषि भूमि में वादीगण का कुल [illegible] हिस्सा है जिस पर वादीगण का कब्जा काश्त है। वादीगण ने अपने हिस्सा पांति में आई कृषि भूमि बाबत प्रतिवादी संख्या 6 से मिला तथा जमाबंदी में वादीगण का नाम दर्ज किये जाने का निवेदन दिनांक 20.10.2020 को निवेदन किया तो प्रतिवादी संख्या 6 ने अपने क्षैत्राधिकार से बाहर बताते हुये खाता विभाजन कर जमाबन्दी में नाम दर्ज करने से मना कर दिया। यही वाद हेतुक है।

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2022.09.16 17:04:04 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी संख्या 5 से के.सी.सी. व कृषि ऋण प्रतिवादी संख्या 1 का लिया हुआ था। जमाबन्दी में प्रतिवादी संख्या 5 के पक्ष वादगत कृषि भूमि रहन है। इसलिये पक्षकार संयोजित किया गया है। वादीगत कृषि भूमि का लेण्ड होल्डर प्रतिवादी संख्या 6 है जिसे आवश्यक पक्षकार होने के कारण पक्षकार संयोजित किया गया है। प्रतिवादी संख्या 6 से किसी प्रकार का कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है।

1. यह है कि दावा पूर्ण कोर्ट फीस व समयावधि के भीतर प्रस्तुत किया गया है। तथा वादगत कृषि भूमि श्रीडूंगरगढ़ तहसील में स्थित होने से माननीय न्यायालय को सुनवाई का क्षैत्राधिकार प्राप्त है।
2. यह है कि आवश्यक पक्षकार की हैसियत से प्रतिवादी संख्या 6 को पक्षकार बनाया गया है। कानूनी आपतियों को ध्यान में रखते हुये स्टेट के विरूद्ध दावा करने से पूर्व धारा 80 (2) सी.पी.सी. की नोटिस की छूट न्यायालय श्रीमान्‌जी से प्राप्त कर दावा प्रस्तुत किया जा रहा है।

अतः दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न आशय कि डिक्री आज्ञप्त फरमाई जावें।

(क) कि इस आशय की डिक्री आज्ञाप्त कर घोषणा कि जावे कि वादगत खेत नंबर 520 तादादी 9.48 हैक्टेयर बारानी, वाके रोही ग्राम पुनरासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर में वादीगण के पक्ष में 8/9 हिस्सा ब.हि.ब. खातेदारी अधिकारो की घोषणा की जाकर राजस्व रिकोर्ड में अंकन किया जावें।

(ख) कि अन्य अनुतोष हितकर वादी हो प्रदान करें।

वादी के उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 ता 04 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये तथा राजीनामा पेश किया। वादी प्रतिवादी को जरिये राजीनामा वाद स्वीकार करनें में कोई आपति नही होने के कारण राजीनामें के अनुसार वाद स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

निर्णय

खेत नंबर 520 तादादी 9.48 हैक्टेयर बारानी, वाके रोही ग्राम पुनरासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर में वादीगण को 5/9 हिस्सा का ब.हि.ब. का खातेदार घोषित किया जाता है प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 ने अपना 3/9 हिस्सा वादीगण के पक्ष में परित्याग कर दिया है अतः तहसीलदार श्रीडूंगरगढ अधिक दिये गये हिस्से पर नियमानुसार परित्याग पत्र पर स्टाम्प डयूटी वसूल कर तदअनुसार वादीगण के पक्ष में कुल 8/9 ब.हि.ब. राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। रहन यथावत रहेगा। [Signature Not Verified overlay]

पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में ... दफतर हो। निर्णय सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2022.09.16 17:04:04 IST
Reason: SelfAttested

[Seal: उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)]

(दिव्या)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

डिक्री मुकदमें इन्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री डूँगरगढ

पीठासीन अधिकारी दिव्या आरएएस..

1. शंकरनाथ 2. रेवन्तनाथ 3. रूपनाथ 4. लालनाथ 5. गणेशनाथ पुत्रगण रामूनाथ जाति नाथ निवासी पुनरासर तहसील श्री डूँगरगढ जिला बीकानेर

बनाम

1. रामूनाथ पुत्र उदानाथ जाति नाथ निवासी पुनरासर तहसील श्रीडूंगरगढ
2. सुशीला पुत्री रामूनाथ पत्नी धर्मपाल जाति नाथ निवासी 20 आर.जे.डी. तहसील घडसाना जिला बीकानेर
3. बंसती पुत्री रामूनाथ पत्नी राजेन्द्र जाति नाथ निवासी 20 आर.जे.डी तहसील घडसाना जिला बीकानेर
4. गुलाबू पुत्री रामूनाथ पत्नी सोहननाथ जाति नाथ निवासी जोगिया बस्ती लूणकरनसर तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर
5. पंजाब नेशनल बैंक शाखा श्रीडूंगरगढ तहसील श्रीडूंगरगढ
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार श्रीडूंगरगढ

वाद बाबत घोषणात्मक

मुकदमा नम्बर 73/2020 निर्णय दिनांक:09.12.2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलास कतई रूब्रू अदालत बहाजरी वादी की ओर से श्री के.के.पुरोहित अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुदई व प्रतिवादी संख्या 01 ता 04 की तरफ से श्री रामलाल नायक अधिवक्ता मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि खेत नंबर 520 तादादी 9.48 हैक्टेयर बारानी, वाके रोही ग्राम पुनरासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर में वादीगण को 5/9 हिस्सा का ब.हि.ब. का खातेदार घोषित किया जाता है प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 ने अपना 3/9 हिस्सा वादीगण के पक्ष में परित्याग कर दिया है अतः तहसीलदार श्रीडूंगरगढ अधिक दिये गये हिस्से पर नियमानुसार परित्याग पत्र पर स्टाम्प डयूटी वसूल कर तदअनुसार वादीगण के पक्ष में कुल 8/9 ब.हि.ब. राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। रहन यथावत रहेगा। तहसीलदार श्रीडूगरगढ़ उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करे।

लीज...0....मुबलिग......0........बाबत......0.........खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह ...0..फीसदी सालाना आज को जारी...... ....तारीख वसूलयाबी.......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज दिनांक 09 माह दिसम्बर सन् 2020 को जारी किया गया ।

(दिव्या)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1.वाद पत्र के लिए स्टाम्प	0	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0	2. अर्जी के लिए स्टाम्प	0
3..प्रदर्शो के लिए स्टाम्प	0	3. [illegible]	0
4.........रूपये पर प्लीडर की फीस	0	4. साक्षियों के निर्वाह–भत्ता	0
5.साक्षियों के लिए निर्वाह–भत्ता	0	5. आदेशिका की तामिल	0
6.कमिश्नर की फीस	0	6. कमिश्नर की फीस	0
7.आदेशिका की तामिल	0		
योग	0	योग	0

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2022.09.16 17:04:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)